मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

कार्य आवंटन नियम

(1 जनवरी 2009 तक यथासंशोधित)

भोपाल
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय
2009

कार्य आवंटन नियम

सामान्य नियम

भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. ये नियम मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियम कहलायेंगे.

2. शासन का कार्य सचिवालय के निम्नलिखित विभागों में किया जावेगा :—

	एक—	सामान्य प्रशासन
	दो—	गृह
	तीन—	जेल
	चार—	वित्त
	पांच—	वाणिज्यिक कर
	छः—	धार्मिक न्यास और धर्मस्व
	सात—	राजस्व
	आठ—	परिवहन
0	नौ—	खेल और युवा कल्याण
	दस—	वन
00	ग्यारह—	वाणिज्य, उद्योग और रोजगार
	बारह—	खनिज साधन
	तेरह—	ऊर्जा
000	चौदह—	किसान कल्याण तथा कृषि विकास
	पन्द्रह—	सहकारिता
	सोलह—	श्रम
	सत्रह—	लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण
	अठारह—	नगरीय प्रशासन एवं विकास
	उन्नीस—	लोक निर्माण
	बीस—	स्कूल शिक्षा
	इक्कीस—	विधि और विधायी कार्य
	बाईस—	पंचायत और ग्रामीण विकास
	तेईस—	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी
	चौबीस—	जनसंपर्क
	पच्चीस—	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण
0000	छब्बीस—	सामाजिक न्याय
	सत्ताईस—	नर्मदा घाटी विकास
	अट्ठाईस—	पुनर्वास
	उन्तीस—	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
	तीस—	संस्कृति
	इकत्तीस—	जल संसाधन
	बत्तीस—	आवास और पर्यावरण
	तैंतीस—	पर्यटन
	चौंतीस—	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
	पैंतीस—	पशुपालन
	छत्तीस—	मछलीपालन

xxxxx	सैंतीस—	विलोपित
	अड़तीस—	उच्च शिक्षा
x	उन्तालीस—	विलोपित
xxxxxx	चालीस—	विलोपित
	इकतालीस—	विज्ञान और टेक्नालॉजी
xxxxxxx	बयालीस—	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण
	तिरतालीस—	बीस सूत्र कार्यान्वयन
	चवालीस—	सार्वजनिक उपक्रम
	पैंतालीस—	विमानन
xxxx	छियालीस—	विलोपित
	सैंतालीस—	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास
	अड़तालीस—	संसदीय कार्य
xx	उनन्चास—	विलोपित
	पचास—	महिला एवं बाल विकास
xxx	इक्यावन—	विलोपित
	बावन—	ग्रामोद्योग
	तिरपन—	जन शिकायत निवारण
	चौवन—	पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक कल्याण
	पचपन—	चिकित्सा शिक्षा
xxxxxxxx	छप्पन—	सूचना प्रौद्योगिकी
xxxxxxxx	सत्तावन—	जैव विविधता (बायो-डायवर्सिटी) तथा जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नालॉजी)
00000	अट्ठावन—	औद्योगिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण.
000000	उनसठ—	आयुष

3. शासन का कार्य इन नियमों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई रीति से सचिवालयीन विभागों में वर्गीकृत किया जाएगा और वितरित किया जाएगा.

4. राज्यपाल, सचिवालय के प्रत्येक विभाग को या विभाग के कार्य की किसी भी मद को किसी मंत्री के प्रभार में देते हुए, शासन के कार्य को मंत्रियों के बीच आवंटित करेंगे.

---

x सा. प्र. वि. की अधिसूचना क्र. एफ. ए. 1-11/86/एक(1), दिनांक 24-12-86 द्वारा विलोपित किया गया.

xx सा. प्र. वि. की अधिसूचना क्र. एफ. ए. 1-16/90/उनन्चास/एक(1), दिनांक 22-11-90 द्वारा विलोपित किया गया.

xxx सा. प्र. वि. की अधिसूचना क्र. एफ. ए. 1-3/92/एक(1), दिनांक 6-7-92 द्वारा विलोपित किया गया.

xxxx सा. प्र. वि. की अधिसूचना क्र. एफ. ए. 1-23/95/एक(1), दिनांक 22-8-98 द्वारा विलोपित किया गया.

xxxxx सा. प्र. वि. की अधिसूचना क्र. एफ. ए. 1-5/99/एक(1), दिनांक 3-1-2000 द्वारा विलोपित किया गया.

xxxxxx सा. प्र. वि. की अधिसूचना क्र. एफ. ए. 1-1/2000/एक(1), दिनांक 17-8-2001 द्वारा विलोपित किया गया.

xxxxxxx सा. प्र. वि. की अधिसूचना क्र. एफ. ए. 1-5/2002/एक(1), दिनांक 29-1-2002 द्वारा संशोधन किया गया.

xxxxxxxx सा. प्र. वि. की अधिसूचना क्र. एफ. ए. 1-3/2003/एक(1), दिनांक 28-8-2001 द्वारा संशोधन किया गया.

0 सा. प्र. वि. की अधिसूचना क्र. 1-4/2007/एक(1), दिनांक 16-7-2007 द्वारा संशोधित.

00 सा. प्र. वि. की अधिसूचना क्र. 1-7/2004/एक(1), दिनांक 13-9-2004 द्वारा संशोधित.

000 सा. प्र. वि. की अधिसूचना क्र. 1-9/2006/एक(1), दिनांक 4-1-2007 द्वारा संशोधित.

0000 सा. प्र. वि. की अधिसूचना क्र. 1-8/2004/एक(1), दिनांक 13-8-2004 द्वारा संशोधित.

00000 सा. प्र. वि. की अधिसूचना क्र. 1-14/2005/एक(1), दिनांक 22-12-2005 द्वारा संशोधित.

000000 सा. प्र. वि. की अधिसूचना क्र. 1-6/2008/एक(1), दिनांक 9-9-2008 द्वारा संशोधित.

5. सचिवालय के प्रत्येक विभाग में एक शासन—सचिव होगा, जो कि विभाग का तथा उसके अधीनस्थ ऐसे अन्य अधिकारियों तथा सेवकों का, जैसा कि शासन अवधारित करें, शासकीय प्रमुख होगा.

6. मध्यप्रदेश शासन के आदेश से या उसकी ओर से किये गये समस्त आदेश या निष्पादित की गई समस्त लिखतें इस रूप में अभिव्यक्त की जायेंगी कि वे मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार किये गये हैं या निष्पादित की गई हैं.

7. उन मामलों के सिवाय, जिनमें किसी अधिकारी को मध्यप्रदेश शासन के किसी आदेश या लिखत पर हस्ताक्षर करने के लिये विशेष रूप से सशक्त किया गया हो, प्रत्येक ऐसा आदेश या लिखत मध्यप्रदेश शासन के या तो मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव या अवर सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा/की जाएगी तथा ऐसे हस्ताक्षर होने पर यह समझा जायेगा कि ऐसा आदेश या लिखत उचित रूप से प्रमाणीकृत है.

8. शासन को भेजा जाने वाला प्रत्येक पत्र शासन के उस विभाग के सचिव को संबोधित किया जायेगा जिससे पत्र की विषय-वस्तु संबंधित हो.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन.

मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियम की अनुसूची

एक—सामान्य प्रशासन विभाग

(अ) **विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :**

1. शासन के कार्य आवंटन नियम तथा कार्य नियम.
2. राज्यपाल की उपलब्धियां; भत्ते, विशेषाधिकार तथा अनुपस्थिति छुट्टी, के संबंध में अधिकार.
3. राज्य के मुख्य मंत्री तथा अन्य मंत्रियों और संसदीय सचिवों की नियुक्ति और त्याग-पत्र की अधिसूचना जारी करना.
4. राज्य के मंत्रियों, उप मंत्रियों और संसदीय सचिवों के वेतन और भत्ते.
5. उच्च न्यायालय का गठन तथा संगठन.
6. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति, त्यागपत्र आदि, उनके वेतन, अनुपस्थिति छुट्टी के संबंध में अधिकार, पेंशन तथा भत्ते.
7. मध्यप्रदेश प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित कार्य.
8. राजस्व मण्डल-अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति.
9. संघ लोक सेवा आयोग.
10. राज्य लोक सेवा आयोग, निम्नलिखित से संबंधित मामले :—

    (एक) सेवा की शर्तें.

    (दो) कृत्यों का परिसीमन.
11. विलोपित

11- क राज्य निर्वाचन आयोग.

11- ख मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग से संबंधित कार्य

(क) मानव अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में उक्त अभिकरणों से प्राप्त शिकायतों के बारे में जांच करने के लिये नोडल विभाग के रूप में कार्य करना तथा निम्नलिखित अभिकरणों को रिपोर्ट प्रस्तुत करना :—

(1) भारत सरकार,

(2) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग,

(3) मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग,

(ख) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के उपबंधों के अधीन राज्य सरकार से संबंधित कार्य.

राजनैतिक

12. राजनैतिक क्रियाकलाप.
13. पाक्षिक प्रतिवेदन.
14. कूट लेख और गूढ़ लेख (कोड्स एण्ड सायफर्स).
15. भारत-पाक संबंध.
16. युद्ध और शांति.
17. संयुक्त राष्ट्र संघ.

18. भारत की प्रतिरक्षा.

19. नेवल स्थल, विमान बल.

20. भारत में प्रवेश और प्रवास और उससे निष्कासन.

21. विलीन रियासतों से संबंधित मामले, अर्थात्,—

    (एक) एकीकरण करार.

    (दो) राजाओं के व्यक्तिगत अधिकार और विशेषाधिकार ; उनकी निजी थैलियां, निजी सम्पत्ति और उनके परिवार के सदस्यों के भत्ते.

    (तीन) विलीनीकरण के पूर्व ऐसी रियासतों में राज्य समारोहों के रूप में मनाये जाने वाले समारोह, और

    (चार) विभागीय क्रियाकलापों का समन्वय.

22. पारितोषिक और अलंकरण.

23. राष्ट्रीय एकीकरण.

24. भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा.

25. राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 से उद्भूत एकीकरण संबंधी विषय.

26. क्षेत्रीय परिषद.

27. न्यायिक और कार्यपालिक कृत्यों का पृथक्करण.

28. प्रादेशिक सेना.

29. संसद और विधान सभा के सदस्यों और प्रशासन के बीच संबंध.

30. सम्मेलन-संसद सदस्य/आयुक्त/कलेक्टर.

31. जिला सलाहकार समितियां.

32. राष्ट्रपति से वित्तीय सहायता से संबंधित मामले.

33. राष्ट्रीय प्रतिरक्षा निधि.

34. राज्य के दान/वित्तीय सहायता तथा अनुदान आदि.

35. मंत्रियों की विवेकाधीन निधि/जनसम्पर्क दौरे.

36. स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों को पेंशन एवं राजनैतिक पेंशन.

37. विलोपित.

सामान्य

38. राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र गीत.

39. राज्य चिह्न.

40. राष्ट्रीय त्यौहार.

41. राज्य के उत्सव और समारोह.

42. शासकीय प्रयोजनों के लिये राष्ट्रीय कलैण्डर.

43. शासकीय पोषाक.

44. पूर्वता-अधिपत्र.

45. महत्वपूर्ण घटनाएं.

46. महत्वपूर्ण व्यक्तियों की मृत्यु और संवेदना-संदेश.

47. उच्च पदस्थ व्यक्तियों का आगमन.

48. राज्य अतिथि गृह और राज्य अतिथियों का आतिथ्य.

49. मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली से संबंधित विषय.

50. भौगोलिक नामों में परिवर्तन.

51. शासकीय भवनों का नामकरण.

52. राजपत्र (असाधारण).

53. अनुपयोगी वस्तुओं की बिक्री-सरकारी नीलामी.

नियुक्तियां एवं सेवाएं

54. भारतीय सिविल सेवा/भारतीय प्रशासनिक सेवा और राज्य सिविल सेवा/प्रशासनिक सेवा संबंधित समस्त विषय (वित्त विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ—नियुक्तियां, पदस्थापनाएं, स्थानान्तरण, वेतन, छुट्टी, पेंशन, पदोन्नतियां, भविष्य निधियां, अग्रिम, प्रतिनियुक्तियां, दण्ड तथा अभ्यावेदन.

55. सिविल सूची और सेवा वृत्त.

56. नवीन अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण.

57. वृत्ति संबंधी योजनाएं बनाना (कैरियर प्लानिंग).

58. मंत्रालय—

(एक) अधिकारी तथा स्थापना.

(दो) प्रशासनिक सुधार.

(तीन) भवन.

59. मंत्रालय में पदेन प्रास्थिति प्रदान करने का प्रस्ताव.

60. मंत्रियों के निजी कर्मचारियों से संबंधित विषय.

61. राज्य लोक सेवाएं-सेवा शर्तों और उनके निर्वचन के विशेष संदर्भ में सामान्य नियम और आदेश जारी करना.

62. विभागों को उनके कृत्यों तथा विषय से सुसंगत समुचित कार्मिक नीतियां बनाने में सहायता देना.

63. समन्वय के मामले (सेवा विषयों से संबंधित).

64. विभाग के परामर्श से विभिन्न सेवाओं के लिये भर्ती की नीति अवधारित करना.

65. शासकीय सेवा में उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिये उनके चरित्र और पूर्ववृत्त तथा उपयुक्तता का सत्यापन करने के बारे में सामान्य नीति.

66. श्रेणी (ग्रेड्स), वेतनमान तथा पदोन्नति के अवसरों के संबंध में उनकी संलग्नता तथा संतुलन बनाये रखते हुए युक्तिसंगत सेवा संरचनाओं को अवधारित करना.

67. वेतन आयोग प्रकोष्ठ.

68. यह सुनिश्चित करना कि विभागों में समुचित सेवा नियम, जिनमें पदों की अनुसूचियां भी सम्मिलित हैं, प्रारूपित तथा प्रवर्तित किये गये हैं.

69. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं महिलाओं के लिये सरकारी सेवाओं में पदों के आरक्षण और शर्तों से संबंधित नीति.

70. सीधी भरती तथा प्रोन्नत व्यक्तियों के बीच पद प्रभाजन करने के लिये युक्तिसंगत तथा न्यायसंगत सिद्धान्तों को विकसित करना.

71. पदक्रम सूचियां तैयार करने तथा प्रकाशित करने एवं अभ्यावेदनों के निपटारे के संबंध में पर्यवेक्षण करना.

72. यह सुनिश्चित करना कि विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठकें समय पर आयोजित की जाती हैं तथा प्रोन्नत व्यक्तियों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कोटे की पूर्ति उचित रूप से की जाती है.

73. इस बात का पर्यवेक्षण करना कि परिवीक्षा तथा स्थायीकरण से संबंधित नियमों का कड़ाई से पालन किया जाता है.

74. अन्तर्विभागीय सेवा के मामले, जैसे—समता, प्रतिनियुक्ति या सेवाओं की मूल शर्तें आदि तय करना.

75. सामान्य स्वरूप तथा सभी पर लागू होने वाले सेवा के मामलों में विभागों की ओर से लोक सेवा आयोग से सम्पर्क स्थापित करना.

76. अधिवार्षिकी आयु प्राप्त अधिकारियों का सेवाकाल बढ़ाने या उनके पुनर्नियोजन के बारे में सामान्य नीति.

77. सिविल पदों पर व्यक्तियों की मानदेय नियुक्ति.

प्रशिक्षण

78. शासकीय कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये प्रतिनियुक्ति या विदेश में प्रतिनियुक्ति.

79. नव नियुक्तों के लिये तथा साथ ही पुनश्चर्या तथा सेवा में प्रशिक्षण की अपेक्षाओं के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना.

80. प्रशासन प्रशिक्षण—मध्यप्रदेश प्रशासन अकादमी से संबंधित विषय.

प्रशासनिक सुधार एवं सतर्कता

81. प्रशासनिक सुधार—संगठन और कार्य पद्धति.

82. कर्मचारी निरीक्षण इकाई.

83. प्रशासकीय सतर्कता प्रकोष्ठ.

84. लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्त.

85. ऐसे समस्त विभाग एवं उन विभागों के अधीन गठित संस्थाएं, जो निर्माण कार्य कराते हैं, उनके द्वारा किए गए निर्माण एवं निर्माण पद्धतियों पर निगरानी.

86. राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो से संबंधित कार्य.

87. सरकारी कर्मचारियों में सतर्कता और अनुशासन से संबंधित सभी नीति संबंधी विषय.

88. विशेष पुलिस स्थापना.

89. जांच आयोग.

कर्मचारी कल्याण

90. अधिकारी/कर्मचारी (सर्विस) संघों को मान्यता देना.

91. संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र तथा अधिकारियों/कर्मचारियों की व्यथा निवारण के लिये तंत्र.

92. कर्मचारी कल्याण जिसमें खेलकूद, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, केन्टीन, सहकारी भण्डार आदि सम्मिलित है.

93. छुट्टियां.

विविध

94. विभागीय नीति से भिन्न सामान्य नीति संबंधी प्रश्न, जिसमें ऐसे अवशिष्ट विषय सम्मिलित हैं जो किसी अन्य सूची में न आए हों.

(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम,—

1. मध्यप्रदेश शासन कार्य (आंवटन) नियम.
2. मध्यप्रदेश शासन कार्य-नियम.
3. मध्यप्रदेश मंत्री, वेतन तथा भत्ता अधिनियम, 1972 और उसके अधीन बनाये गये नियम.
4. उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954.
5. प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985.
6. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियम, 1973.
7. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1957.
8. विलोपित.
9. मध्यप्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सैनिक सम्मान निधि नियम, 1972.
10. विलोपित.
11. मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1981 तथा उसके अधीन बनाये गये नियम.
12. मध्यप्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1982 तथा उसके अधीन बनाये गये नियम.
13. मध्यप्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों का हाजिर कराया जाना तथा दस्तावेजों का पेश कराया जाना) अधिनियम, 1979.
14. जांच आयोग अधिनियम, 1952.
15. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993.
16. मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष तथा सदस्य (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 1995.
17. मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियां एवं पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994.
18. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पदोन्नति में आरक्षण) विचारण क्षेत्र के विस्तार के संबंध में नियम, 1997.
19. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (लोक सेवाओं और पदों में महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबन्ध) नियम, 1996.
20. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965.
21. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966.

(इ) विभाग से संबद्ध/अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :

1. राजभवन.
2. मध्यप्रदेश प्रशासनिक अधिकरण.
3. लोक सेवा आयोग.
4. लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त.
5. विशेष पुलिस स्थापना.
6. मुख्य तकनीकी परीक्षक का कार्यालय.
7. राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो.
8. विलोपित.
9. मध्यप्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (माइनोरिटीज कमीशन)
10. मध्यप्रदेश प्रशासन अकादमी.
11. मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली.
12. आतिथ्य अधिकारी का कार्यालय.
13. राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यालय.
14. मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग.

(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्डल तथा निगम :

कुछ नहीं.

(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्य संस्थाएं तथा निकाय:

1. मध्यप्रदेश सिविल सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड.
2. विलोपित.

(ऊ) विभाग के अधीन आने वाली सेवा का नाम, यदि कोई हो तथा विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो:

1. भारतीय प्रशासनिक सेवा (इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस).
2. राज्य प्रशासनिक सेवा.
3. मध्यप्रदेश मंत्रालयीन सेवा.
4. राजभवन, मध्यप्रदेश प्रशासनिक अधिकरण, लोक सेवा आयोग, लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त, मुख्य तकनीकी परीक्षक, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, प्रशासन अकादमी और राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालयों से संबंधित सेवा विषय.

दो—गृह विभाग

(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय:

अ—सामान्य

1. नागरिकता और देशीयकरण.
2. पारपत्र और दृष्टांक (वीसा).
3. अन्य देशीय.
4. अन्तर्राज्यीय प्रवजन, अन्तर्राज्यीय निरोध.
5. अस्थिरवासी, प्रवासी जनजातियां.
6. प्रत्यर्पण.
7. भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थयात्राएं.
8. विलोपित.

9. विलोपित.

10. शिविर स्थल.

11. छावनी (केन्टोनमेन्ट).

12. लोक सहायक सेना.

13. राज्य और जिला सैनिक, नाविक तथा वैमानिक मण्डल को सम्मिलित करते हुए सैनिकों, सिविल पायोनियर्स तथा युद्ध-उद्योगों में नियोजित श्रमिकों का पुनर्वास और पुनर्नियुक्ति.

14. विलोपित.

15. अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित सामान्य प्रश्न.

16. जनगणना.

17. विलोपित.

18. मंत्रियों और उपमंत्रियों के लिये आशयित निवास भवनों के निर्माण के लिये निधियों का आवंटन तथा प्रशासनिक अनुमोदन तथा ऐसे भवनों में फर्नीचर की व्यवस्था तथा उनकी साज-सज्जा.

19. भोपाल स्थित मोटर वर्क्स तथा गैरेज एवं गैरेज से वाहनों का आवंटन.

20. सरकारी मोटर गाड़ियां, जो मंत्रियों और संसदीय सचिवों के उपयोग के लिये उनके अधिकार में रखी गई हैं.

21. सरकारी टेलीफोन व्यवस्था.

22. ऐसे सरकारी भवनों में, जो सर्व समुच्चय (कामनपूल) के हों और जो निवास के प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाये जाते हों, बिजली प्रकाश तथा पंखों की व्यवस्था.

23. विभागीय परीक्षाएं.

24. वर्दियां.

25. अशासकीय संघों (एसोशियेशन्स) द्वारा पारित संकल्प.

26. विलोपित.

27. ऐसे शासकीय सेवकों को, जो पाकिस्तान चले गए थे (वेतन, छुट्टी वेतन, भविष्य निधि, निवृत्ति-वेतन आदि का बकाया) दावे.

28. आपात सहायता संगठन.

29. आग की रोकथाम.

30. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिये आशयित निवास भवनों के निर्माण के लिये प्रशासनिक अनुमोदन और उनका आवंटन.

x 31. विलोपित.

32. सर्व-समुच्चय (कॉमन पूल) के आवास गृहों का आवंटन तथा इससे संबंधित लघुमूल कार्यों की स्वीकृति.

xx 32-अ. मानव निर्मित आपदाओं/आकस्मिक आपदाओं के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करना. मध्यप्रदेश में जैविक, रासायनिक तथा आणविक आक्रमण/दुर्घटना/विनाशकारी घटना के दौरान संरक्षण तथा सहायता.

xxxx 32-अ अ. आपदा प्रबंधन अधिनयम, 2005 के प्रशासन हेतु नोडल विभाग के रूप में कार्य करना.

xxx 32-ख. राज्य सरकार के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का सं. 45) की धारा 153-क, 153-ख, 295-क के अधीन किए गए दाण्डिक अपराधों तथा आपराधिक षड़यंत्र के अपराधियों के अभियोजन के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा के अधीन पूर्व अनुज्ञा.

33. ऐसी सेवाओं से सम्बद्ध सभी विषय जिनका विभाग से संबंध हो (वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को आवंटित किए गए विषयों को छोड़कर). उदाहरणार्थ :—नियुक्तियां, पदस्थापनाएं, स्थानान्तरण, वेतन, छुट्टी, निवृत्ति वेतन, पदोन्नतियां, भविष्य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दण्ड तथा अभ्यावेदन.

---

x अधिसूचना क्र. एफ. ए. 1-11/2001/एक(1), दिनांक 23-5-2002 द्वारा संशोधित.

xx अधिसूचना क्र. एफ. ए. 1-15/2001/एक(1), दिनांक 4-2-2003 द्वारा संशोधित.

xxx अधिसूचना क्र. एफ. ए. 1-3/2003/एक(1), दिनांक 13-5-2003 द्वारा संशोधित.

xxxx अधिसूचना क्र. एफ. ए. 1-5/2006/एक(1), दिनांक 17-10-2006 द्वारा संशोधित.

आ—पुलिस

1. सार्वजनिक व्यवस्था.
2. आन्तरिक सुरक्षा.
3. पुलिस, जिसके अंतर्गत रेल्वे और ग्राम पुलिस भी है, किन्तु विशेष पुलिस स्थापना शामिल नहीं है.
4. पुलिस प्रशिक्षण शालाएं और महाविद्यालय.
5. शस्त्रास्त्र, अग्न्यस्त्र, युद्धोपकरण.
6. पण लगाना और जुआ.
7. लाटरी (राज्य लाटरी को छोड़कर).
8. पुलिस बल की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का अन्य क्षेत्रों पर विस्तार.
9. केन्द्रीय गुप्त वार्ता और अनुसंधान विभाग.
10. सैनिक शिक्षा (नगर सेना).
11. राजनैतिक अपराध.
12. निवारक निरोध तथा ऐसे अन्य व्यक्ति जो विदेशी कार्य, भारत की प्रतिरक्षा या सुरक्षा संबंधी कारणों से ऐसे निरोध के अध्यधीन है.
13. राज्य की सुरक्षा से, सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने से अथवा समुदाय के लिए, अत्यावश्यक संभरणों और सेवाओं को बनाए रखने से संसक्त कारणों के लिये निवारक निरोध, ऐसे निरुद्ध व्यक्ति.
14. सिविल प्रतिरक्षा.
15. अन्तर्राज्यीय पुलिस बेतार (वायरलेस) पद्धति.
16. पुलिस पदक.
17. भारतीय पुलिस सहित भारतीय पुलिस सेवा से संबंधित विषय.
18. ऐसी सेवाओं से सम्बद्ध सभी विषय जिनका विभाग से संबंध हो (वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को आंवटित किए गए विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ:—नियुक्तियां, पदस्थापनाएं, स्थानान्तरण, वेतन, छुट्टी, निवृत्ति वेतन, पदोन्नतियां, भविष्य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दंड तथा अभ्यावेदन.

(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम:

1. मध्यप्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र अध्यादेश, 1981.
2. सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867.
3. मध्यप्रदेश सार्वजनिक व्यवस्था रक्षा अधिनियम, 1965.
4. मध्यप्रदेश संगीत और ध्वनि नियंत्रण अधिनियम.
5. मध्यप्रान्त और बरार नगर सेना (होम गार्डस्) अधिनियम और नियम, 1947.
6. मध्यप्रदेश लोक परिसर बेदखली अधिनियम, 1974.
7. मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979.
8. पुलिस विनियम.

x 9. विलोपित

---

x अधिसूचना क्र. एफ. ए. 1-11/2001/एक(1), दिनांक 23-5-2002 द्वारा संशोधित.

x 10.विलोपित.

11. भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884.

12. मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990.

xx 13. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का सं. 33).

xxx 14. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005

(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :

1. पुलिस महानिदेशक कार्यालय.
2. नगर सेना के कमान्डेन्ट जनरल.
3. चिकित्सा विधि (मेडिको लीगल) संस्थान, भोपाल.
4. विशेष अधिकारी (आत्म समर्पित डाकुओं का पुनर्वास) कार्यालय, ग्वालियर.
5. फोरेंसिक साइंस प्रयोगशाला, सागर.
6. पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सागर.
7. पुलिस प्रशिक्षण शाला.
8. विलोपित.
9. सम्पदा संचालनालय.
10. राज्य सैनिक तथा वैमानिक मंडल, भोपाल.
11. अधीक्षक, राज्य गैरेज, भोपाल.
12. लोक अभियोजन संचालनालय.

(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मंडल तथा निगम :

कुछ नहीं.

(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्य संस्थाएं तथा निकाय :

1. मध्यप्रदेश पुलिस, गृह निर्माण निगम.

(ऊ) विभाग के अधीन सेवाओं के नाम, यदि कोई हों और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो :

1. अखिल भारतीय सेवाएं—भारतीय पुलिस सेवा.
2. राज्य पुलिस सेवा.
3. नगर सेना सेवा.
4. राज्य गैरेज, अराजपत्रित.

तीन—जेल विभाग

(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :

1. कारागार—कारागारों के उपयोग के लिये अन्य राज्यों से प्रबंध.
2. छोड़े हुए कैदियों की सहायता समितियां.
3. कैदियों, अभियुक्त व्यक्तियों तथा निवारक निरोध में किए गए व्यक्तियों का एक राज्य से दूसरे राज्य को हटाया जाना.
4. पागल कैदी.

---

x अधिसूचना क्र. एफ. ए. 1-11/2001/एक(1), दिनांक 23-5-2002 द्वारा संशोधित.

xx अधिसूचना क्र. एफ. ए. 1-6/2002/एक(1), दिनांक 17-10-2002 द्वारा संशोधित.

xxx अधिसूचना क्र. एफ. ए. 1-5/2006/एक(1), दिनांक 17-10-2006 द्वारा संशोधित.

5. सुधारालय एवं बोर्टल संस्थाएं और इसी प्रकार की अन्य संस्थाएं और उनमें निरुद्ध व्यक्ति.
6. सजाओं में छूट.
7. ऐसी सेवाओं से सम्बद्ध समस्त विषय जिनका विभाग से संबंध हो (वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को आवंटित किए गए विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ :—नियुक्तियां, पदस्थापनाएं, स्थानान्तरण, वेतन, छुट्टी, निवृत्ति वेतन, पदोन्नतियां, भविष्य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दंड तथा अभ्यावेदन.

(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम :

1. कारागार अधिनियम, 1894.
2. कैदी अधिनियम, 1930.
3. मध्यप्रदेश परिवीक्षा पर रिहाई अधिनियम, 1954.
4. कैदियों का स्थानान्तरण अधिनियम, 1950.
5. मध्यप्रदेश बोर्स्टल अधिनियम, 1928.

(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :

1. कारागार महानिरीक्षक, मध्यप्रदेश.
2. केन्द्रीय जेलें.
3. जिला जेलें, प्रथम श्रेणी.
4. जिला जेलें, द्वितीय श्रेणी.
5. उप जेलें.
6. जेल प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर.

(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मंडल तथा निगम :

कुछ नहीं.

(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्य संस्थाएं तथा निकाय :

1. परिवीक्षा मंडल.

(ऊ) विभाग के अधीन सेवा का नाम, यदि कोई हो, तथा विशेष सेवा विषय, यदि कोई हों :

1. मध्यप्रदेश प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी जेल सेवा.
2. मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी (गैर लिपिक वर्गीय और लिपिक वर्गीय) जेल सेवा.

चार—वित्त विभाग

(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :

1. राज्य की संचित निधि.
2. राज्य की आकस्मिकता निधि.

3. राज्य का लोक लेखा.
4. राज्य का लोक ऋण.
5. वार्षिक वित्तीय विवरण के प्रारूप तथा विषय वस्तु, अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान, लेखानुदान, प्रत्यानुदान और आपवादिक अनुदान और बजट प्रक्रिया से संबंधित सभी विषय.
6. विनियोग बिल.
7. पुनर्विनियोग.
8. अकाल सहायता निधि.
9. प्राकृतिक आपदा सहायता निधि का गठन, उसमें धन का विनियोग और उससे धन के प्रत्याहरण का प्राधिकरण.
10. अर्थोपाय व्यवस्था.
11. संसाधन.
12. वित्तीय संसाधन बढ़ाने संबंधी सामान्य नीति.
13. वित्त आयोग.
14. स्थानीय निकायों के ऋण और अग्रिम धन.
15. विनियोग लेखाओं, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और लोक लेखा समिति से संबंधित या उनसे उद्भूत होने वाले विषय.
16. चलार्थ, टंकण और मान्य सिक्का, विदेशीय विनिमय.
17. महाजनी (बैंकिंग) और महाजनी (बैंकिंग) समवाय.
18. स्थानीय निधी लेखा परीक्षा.
19. संघ निवृत्ति वेतन.
20. राज्य निवृत्ति वेतन तथा निवृत्ति वेतन नियम.
21. निवृत्ति वेतन का एक मुश्त दान.
22. अनुकम्पा निधि.
23. अल्प बचत योजना.
24. कोषागार.
25. राज्य लाटरी.
26. चिट फंड.
27. व्यय नियंत्रण संबंधी नियम और विनियोग इकाईयों के संबंध में विनिर्धारण.
28. वर्तमान मूल नियमों और उसके अधीन सहायक नियमों के तत्स्थानी नियम.
29. भारत के संविधान के अनुच्छेद 283 (2) और 284 के अधीन निधि और नियम, समस्त निधियों की अभिरक्षा सुरक्षा और उनको उचित रूप से काम में लाने के विनियमक सहायक नियम.
30. वित्तीय प्रक्रिया के विनियामक नियम और वाणिज्य लेखाओं को सम्मिलित करते हुए लेखा रखने संबंधी समस्त नियम.
31. भविष्य निधि नियम.
32. वाहन, गृह निर्माण और अन्य विधि अग्रिम धन के और इस प्रयोजन के लिये निधियों के आवंटन के विनियामक नियम.
33. स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम तथा संबंधित मामले.
34. अन्तर्राष्ट्रीय तौर से साहय्यित परियोजनाओं का परिवीक्षण.
35. संस्थागत वित्त.

x35-क अधोसंरचना में जन-निजी भागीदारी" (Public Private Partnership)

xx35-ख बीमा

---

x अधिसूचना क्र. एफ. ए. 1-3/2006/एक(1), दिनांक 28-7-2006 द्वारा संशोधित.

xx अधिसूचना क्र. एफ. ए. 1-8/2006/एक(1), दिनांक 4-1-2007 द्वारा संशोधित.

36. ऐसी सेवाओं से संबद्ध सभी विषय जिनका विभाग से संबंध हो (सामान्य प्रशासन विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ—नियुक्तियां, पदस्थापनाएं, स्थानान्तरण, वेतन, छुट्टी, निवृत्ति वेतन, पदोन्नतियां, भविष्य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दंड तथा अभ्यावेदन.

(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम :

1. मध्यप्रदेश वित्त संहिता.
2. मध्यप्रदेश कोषागार संहिता.
3. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976.
4. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (छुट्टी) नियम.
5. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (यात्रा भत्ता) नियम.
6. वित्तीय शक्ति पुस्तिका.
7. वेतन निर्धारण नियम.
8. आकस्मिकता निधि नियम.
9. स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्रमांक 43 सन् 1973).
10. मध्यप्रदेश लाटरी अधिनियम, 1973 (क्रमांक 9 सन् 1975).
11. मध्यप्रदेश धन परिचलन योजना (प्रतिरोध) अधिनियम, 1975 (क्रमांक 19 सन् 1975).
12. राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 (केन्द्रीय शासन का अधिनियम).
13. मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम व उसके तहत नियम.
14. मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम.
15. मध्यप्रदेश राज्य सरकार प्रतिभूति नियम, 1976.
16. मध्यप्रदेश लोकधन (शोध्य राशि की वसूली) अधिनियम, 1981.
17. मध्यप्रदेश मूलभूत नियम.

(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :

1. कोषागार एवं लेखा संचालनालय, मध्यप्रदेश.
2. स्थानीय निधि लेखा संपरीक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश.
3. जीवन बीमा विभाग संचालनालय, मध्यप्रदेश.
4. अल्प बचत तथा राज्य लाटरी संचालनालय, मध्यप्रदेश.
5. संस्थागत वित्त व्यवस्था संचालनालय.
6. विलोपित.
7. वित्तीय प्रबन्ध सूचना प्रणाली संचालनालय.

(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मंडल तथा निगम :

1. मध्यप्रदेश राज्य वित्त निगम.
2. मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग.

(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्य संस्थाएं तथा निकाय :

1. प्रोवीडेन्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी मर्यादित, मुम्बई.

(ऊ) विभाग के अधीन सेवा का नाम, यदि कोई हो, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो :

1. मध्यप्रदेश लेखा सेवा.
2. मध्यप्रदेश स्थानीय निधि लेखा संपरीक्षा सेवा.
3. मध्यप्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा.
4. मध्यप्रदेश स्थानीय निधि अधीनस्थ सेवा.
5. मध्यप्रदेश कोषागार लिपिक वर्गीय सेवा.
6. मध्यप्रदेश स्थानीय निधि लिपिक वर्गीय सेवा.
7. विभाग के अधीन चतुर्थ श्रेणी सेवा.
8. मध्यप्रदेश संस्थागत वित्त (तृतीय श्रेणी) सेवा.

पांच—वाणिज्यिक कर विभाग

(अ) **विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :**

1. मादकपान तथा नशा लाने वाली औषधियां, अफीम, हानिकारक औषधियां.
2. राज्य में निर्मित या उत्पादित निम्नलिखित वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क तथा भारत में अन्यत्र निर्मित या उत्पादित तत्सम वस्तुओं पर उसी या कम दर से प्रति शुल्क :—

   (क) मानव उपभोग के लिए अल्कोहलयुक्त शराब.

   (ख) अफीम, भारतीय गांजा तथा अन्य नशा लाने वाली औषधियां तथा नशीले पदार्थ किन्तु इसमें औषधीय और ऐसी प्रशासन सामग्री शामिल नहीं है जिनमें अल्कोहल या (ख) में सम्मिलित कोई अन्य पदार्थ शामिल हो.
3. निम्नलिखित को छोड़कर, तम्बाकू तथा भारत में निर्मित या उत्पादित अन्य वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क :—

   (क) मानव उपभोग के लिए अल्कोहल शराब.

   (ख) अफीम, भारतीय गांजा तथा अन्य नशा लाने वाली औषधियां तथा नशीले पदार्थ किन्तु इसमें औषधीय और ऐसी प्रसाधन सामग्री शामिल है जिनमें अल्कोहल या (ख) में सम्मिलित कोई पदार्थ शामिल हो.
4. भूमि पर कर जो भू-राजस्व से भिन्न हो तथा नगरीय क्षेत्रों के उन भवनों पर कर जो किसी नगरीय स्थानीय प्राधिकरण, अर्थात् नगरपालिका परिषद, नगरपालिक निगम, अधिसूचित क्षेत्र समिति, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, नगर क्षेत्र या छावनी मण्डल के अधिकार क्षेत्र में न आते हों.
5. किसी स्थानीय क्षेत्र के भीतर वहां उपभोग, उपयोग या विक्रय के लिये माल के प्रवेश पर कर.
6. मध्यप्रदेश चुंगी प्रतिकर निधि का निर्माण तथा उसमें जमा रकमों पर निगरानी रखना.
7. प्रति व्यक्ति कर.
8. वृत्ति, व्यापार, आजीविका तथा सेवायोजन पर कर.
9. पशुओं तथा नौकाओं पर कर.
10. समाचार-पत्रों की बिक्री या खरीद पर तथा उनमें प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों पर कर.
11. समाचार-पत्रों को छोड़कर अन्य वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर कर तथा समाचार-पत्रों में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों को छोड़कर अन्य विज्ञापनों पर कर.
12. विलास-सामग्री पर कर जिनमें मनोरंजन, मनोविनोद, पण लगाना तथा जुआ खेलने पर कर शामिल है.

13. कृषि आय को छोड़कर अन्य आय पर कर.
14. व्यक्तियों तथा कंपनियों की आस्तियों में से कृषि भूमि को छोड़कर मूलधन मूल्य पर कर कंपनियों के मूलधन पर कर.
15. कृषि भूमि को छोड़कर संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क.
16. स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गये ऐसे करों को छोड़कर रेल या वायु से ले जाई जाने वाली वस्तुओं या यात्रियों पर सीमा कर तथा रेल के यात्री भाड़े या वस्तु भाड़े पर कर.
17. महुए पर नियंत्रण.
18. विलोपित.
19. विलेखों तथा दस्तावेजों का पंजीयन.
20. न्यायेतर मुद्रांक तथा मुद्रांक शुल्क की दरें.
21. विनिमय-पत्रों, चेकों, वचन-पत्रों, वहन-पत्रों, प्रत्यय-पत्रों, बीमा पालिसियों, अंशों के हस्तांतरण ऋण-पत्रों, प्रति-पत्रों तथा प्राप्तियों के संबंध में मुद्रांक शुल्क की दरें.

x 21-क. सिनेमेटोग्राफ फिल्म की स्वीकृति.

x 21-ख. चल-चित्रों का नियमन, उनके अनुज्ञापत्र सहित.

22. ऐसी सेवाओं से संबद्ध सभी विषय जिनका विभाग से संबंध हो (वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ :—नियुक्तियां, पदस्थापनाएं, स्थानान्तरण, वेतन, छुट्टी, निवृत्ति वेतन, पदोन्नतियां, भविष्य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दंड तथा अभ्यावेदन.

(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम तथा नियम :

1. मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5, सन् 1995)
2. केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, (74/1956), 1956.
3. मध्यप्रदेश वृत्ति कर अधिनियम, 1995 (क्रमांक 16, सन् 1995).
4. मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, (52/1976), 1976.
5. मध्यप्रदेश उत्पाद शुल्क अधिनियम, (2/1915), 1915.
6. मध्यप्रदेश मनोरंजन कर तथा विज्ञापन कर अधिनियम, (तीस/1936), 1936.
7. हानिकारक द्रव्य अधिनियम, (दो/1930), 1930.
8. औषधि तथा प्रसाधन सामग्री निर्माण (उत्पाद शुल्क) अधिनियम (16/1955) 1955.
9. विलोपित.
10. मध्यप्रदेश तम्बाकू अधिनियम, (आठ/1939), 1939.
11. विलोपित.
12. भारतीय पंजीयन अधिनियम (सोलह/1908), 1908.
13. भारतीय मुद्रांक अधिनियम, (दो/1899), 1899.
14. नारकोटिक्स अधिनियम.

x 15. मध्यप्रदेश सिनेमा (नियमन) अधिनियम, 1952 (क्रमांक 17, सन् 1952).

x(16) चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का सं. 37).

x(17) मध्यप्रदेश सिनेमा (रेग्यूलेशन) नियम, 1972.

x(18) मध्यप्रदेश सिनेमा विनियम (एडवरटाईजिंग वेन) नियम, 1960.

x(19) मध्यप्रदेश सिनेमा (एक्जीवेशन ऑफ फिल्म बोर्ड विडियो कैसेट रिकार्डर) लाईसेंस नियम, 1983.

x(20) मध्यप्रदेश नये सिनेमा घरों के निर्माण को प्रोत्साहन योजना के सहायता अनुदान नियम, 1982.

(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :

1. वाणिज्यिक कर आयुक्त.
2. आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश.
3. महानिरीक्षक पंजीयन तथा मुद्रांक.

---

x अधिसूचना क्र. एफ. ए. 1-11/2001/एक(1), दिनांक 23-5-2002 द्वारा संशोधित.

(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मंडल तथा निगम :

कुछ नहीं.

(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्य संस्थाएं तथा निकाय :

x (1) मध्यप्रदेश फिल्म डेवलॅपमेंट कार्पोरेशन.

(ऊ) विभाग के अधीन सेवाओं के नाम, यदि कोई हों, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो :

1. मध्यप्रदेश विक्रय कर राजपत्रित अधिकारी, प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी सेवा.
2. मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी विक्रय कर कार्यपालन सेवा.
3. मध्यप्रदेश विक्रय कर तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय सेवा.
4. मध्यप्रदेश विक्रय कर चतुर्थ श्रेणी सेवा.
5. मध्यप्रदेश आबकारी उत्पाद शुल्क अधिकारी (प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी) सेवा.
6. मध्यप्रदेश आबकारी तृतीय श्रेणी कार्यपालन सेवा.
7. मध्यप्रदेश आबकारी तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय सेवा.
8. मध्यप्रदेश आबकारी चतुर्थ श्रेणी सेवा.
9. मध्यप्रदेश पंजीयन तथा मुद्रांक राजपत्रित सेवा, प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी.
10. मध्यप्रदेश पंजीयन तथा मुद्रांक तृतीय श्रेणी कार्यपालन सेवा.
11. मध्यप्रदेश पंजीयन तथा मुद्रांक विभाग, लिपिक वर्गीय तृतीय श्रेणी सेवा.
12. मध्यप्रदेश पंजीयन तथा मुद्रांक चतुर्थ श्रेणी सेवा.

छः—धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग

(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :

1. पूर्त और पूर्त संस्थायें.
2. पूर्त और धार्मिक धर्मस्व.
3. धार्मिक संस्थायें.
4. लोक न्यास.
5. पूर्त धर्मस्व अधिनियम, 1890 (चेरिटेबिल एण्डोमेंट एक्ट, 1890) के अधीन पूर्त धर्मस्व के कोषाध्यक्ष के कार्य.
6. मध्यभारत गंगाजली निधि न्यास.
7. विलोपित.
8. राज्य शासन के नियंत्रण तथा प्रबन्ध के अधीन माफी तथा औकाफ भूमियों तथा धार्मिक संस्थाओं की भूमियों का प्रबन्ध.
9. पुजारियों, महन्तों तथा कथा वाचकों की नियुक्ति, उनका हटाया जाना तथा नामान्तरण और नेमणूक का भुगतान.

xx 10. नगरों/शहरों/स्थानों को पवित्र घोषित करना तथा उनके विकास के लिये नोडल विभाग के रूप में कार्य करना.

(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम तथा नियम :

1. विलोपित.
2. लोक न्यास अधिनियम, 1951.
3. मध्यप्रदेश धर्मादा निधि अधिनियम, 1951.
4. मध्यभारत श्री महाकालेश्वर विधान, 1953.
5. सलकनपुर देवी मंदिर अधिनियम, 1956.
6. मध्यभारत गंगाजली निधि न्यास अधिनियम, 1954.

---

x अधिसूचना क्र. एफ. ए. 1-11/2001/एक(1), दिनांक 23-5-2002 द्वारा संशोधित.

xx अधिसूचना क्र. एफ. ए. 1-3/2004/एक(1), दिनांक 28-7-2006 द्वारा संशोधित.

(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :

1. विलोपित.

(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मंडल तथा निगम :

1. विलोपित.
2. महाकालेश्वर मंदिर समिति.
3. सलकनपुर देवी मंदिर समिति.

(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्य संस्थाएं तथा निकाय :

1. विलोपित.
2. भूतपूर्व भोपाल रियासत की मंदिर समिति भोपाल.
3. लक्ष्मण बाग समिति, रीवा.
4. शारदा देवी मंदिर समिति, मैहर.
5. विलोपित.
6. विलोपित.
7. भूतपूर्व ग्वालियर रियासत का औकाफ न्यासी मंडल.

(ऊ) विभाग के अधीन सेवाओं के नाम, यदि कोई हों, तथा विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो :

कुछ नहीं

सात—राजस्व विभाग

(अ) पट्टे के दस्तावेजों के वितरण की प्रगति का परिवीक्षण (मानीटरिंग) सम्मिलित करते हुए मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदाय किया जाना) अधिनियम, 1984 का क्रियान्वयन विभिन्न अभिकरणों द्वारा क्रियान्वित की जा रही गंदी बस्ती उन्मूलन तथा सुधार योजनाओं की प्रगति का परिवीक्षण नगरीय महायोजनाओं (मास्टर प्लान) और उससे संबंधित अन्य क्रियाकलापों में पारिणामिक संशोधन को छोड़कर विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय.

1. भूमि-भूमि में या पर अधिकार, भू-धृति जिसके अन्तर्गत कृषि भूमि के बारे में भू-स्वामी और किसानों का संबंध भी है तथा भाटक (लगान) का संग्रहण.
2. कृषि भूमि का हस्तान्तरण अन्य संक्रामण और न्यागमन.
3. भूमि सुधार और कृषि संबंधी उधार.
4. उपनिवेशन जिसमें भूमिहीन व्यक्तियों को बसाना भी सम्मिलित है.
5. सूची-एक (संघ सूची) को परिशिष्ट 34 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रतिपाल्य अधिकरण.
6. भारग्रस्त और कुर्क सम्पदाएं.
7. राज्य से बाहर पैदा हुए कर विषयक दावों तथा अन्य सार्वजनिक अभियाचनाओं की वसूली.
8. स्थानीय उपकरों तथा भू-राजस्व के रूप में वसूल की जा सकने वाली अन्य रकमों का संग्रहण.
9. ग्राम वन तथा अन्य वन, जो वन विभाग के प्रबंधन के अधीन नहीं.

10. कृषि श्रमिकों की बेरोजगारी या अपूर्ण रोजगारी.

11. दुर्भिक्ष या अकाल सहायता और कृषि ऋणिता का निवारण जिसमें दीर्घकालिक दुर्भिक्ष, सूखा से प्रभावित क्षेत्रों के लिए ग्रामीण निर्माण कार्य कार्यक्रम या सूखा उन्मुख क्षेत्र कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है.

12. अग्नि, बाढ़-भूकम्प आदि के कारण सहायता उपायों का निष्पादन.

13. भू-अर्जन, गृह निर्माण विभाग तथा पर्यावरण विभाग को सौंपी गई संपत्ति को छोड़कर अन्य संपत्ति अधिग्रहण.

14. साहूकारी और साहूकार, जिसमें साहूकारों का पंजीयन सम्मिलित है.

15. कृषि आय पर कर.

16. कृषि भूमि के उत्तराधिकार के विषय में कर.

17. कृषि भूमि के विषय में संपत्ति शुल्क.

18. संभागों, जिलों और तहसीलों का परिसीमन.

19. मध्यप्रदेश में भूमि सुधार इसमें मध्यस्थों की समाप्ति शामिल है.

20. मध्यप्रदेश में कृषि जोत पर उच्चतम सीमा.

21. मध्यप्रदेश में कृष्येत्तर धृत क्षेत्र पर उच्चतम सीमा.

22. मध्यप्रदेश में ग्राम पंचायतों को पटेलों के कर्तव्य सौंपना.

23. भूतपूर्व राजाओं द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न नगद अनुदान इसमें धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग को सौंपे गए अनुदान शामिल नहीं हैं.

24. मध्यप्रदेश में निस्तार का प्रशासन.

25. भू-राजस्व का निर्धारण और अन्य संक्रामण.

26. अधिकार अभिलेख.

27. राजस्व प्रयोजन के लिए भू-परिमाप तथा अन्य भू-परिमाप.

28. बंदोबस्त.

29. भू-कर सर्वेक्षण.

30. माफी भूमि पुनर्ग्रहीत करने के बदले नगद अनुदान.

31. ग्राम प्रशासन पत्र वाजिब-उल अर्ज तथा निस्तार पत्रक.

32. श्मशान और कब्रिस्तान के लिए भूमि का आरक्षण.

33. भारतीय भू-परिमाप.

34. त्रिकोणीमितीय भू-परिमाप केन्द्र.

35. खातों की चकबंदी योजनाएं.

36. व्यपवर्तन तथा व्यपवर्तित भूमियों का कर निर्धारण और मानक दरें.

37. भू-परिमाप और बंदोबस्त के अधिकारियों का प्रशिक्षण.

38. निम्नलिखित योजनाओं के बजट से संबंधित सभी विषय पदों का निर्माण पदों को चालू रखना, पदोन्नतियां, स्थानान्तरण आदि:—

(क) कृषि संबंधी गणना (एग्रीकल्चरल सेन्सस), (ख) फसल कटाई तथा कृषि सांख्यिकी के लिए सूचना सामग्री, (ग) प्रमुख फसलों के क्षेत्र और उपज अनुमान के लिए समय पर सूचना देने वाली योजना, (घ) सिंचाई सांख्यिकी में सुधार.

39. मुजमूली नक्शों का अनुरक्षण.

40. अधिकार अभिलेख तथा "ऋण पुस्तिका" का अनुरक्षण और उसे अद्यतन करना.

41. विलोपित.

42. फसल और ऋतु संबंधी पूर्वानुमान प्रतिवेदन और उनका प्रकाशन.

43. पशुगणना और हल्काबंदी योजनाएं.

44. लेखन सामग्री जिसमें फार्म सम्मिलित है.

45. शासकीय और जेल मुद्रणालय.

46. प्रायवेट मुद्रणालयों में मुद्रण.

47. विलोपित.

48. सीमा विवाद

X48-अ. प्राकृतिक आपदाओं (सूखा, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि) के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करना. मध्यप्रदेश में जैविक, रासायनिक तथा आणविक आक्रमण/दुर्घटना/विनाशकारी घटना से उत्पन्न आपदाओं के दौरान पुनर्वास का उत्तरदायित्व.

49. ऐसी सेवाओं से सम्बद्ध समस्त विषय जिसका विभाग से संबंध हो (वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को आवंटित किए गए विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ—नियुक्तियां, पदस्थापनाएं, स्थानान्तरण, वेतन, छुट्टी, निवृत्ति वेतन, पदोन्नतियां, भविष्य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दण्ड तथा अभ्यावेदन.

(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम :

1. मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959.
2. साहूकार विधान, 1894.
3. मध्यप्रदेश ग्रामीण ऋण विमुक्ति तथा ऋण स्थगन अधिनियम, 1975.
4. राजस्व वसूली अधिनियम, 1894.
5. मध्यप्रान्त भूमि हस्तांतरण अधिनियम, 1916.
6. भू-अर्जन अधिनियम, 1894.
7. विलोपित.
8. मध्यप्रदेश कृषक जोत उच्चतम सीमा अधिनियम, 1960.
9. मध्यप्रदेश कृषक जोत उच्चतम सीमा अधिनियम, 1981.
10. मध्यप्रदेश नगरीय भूमि उच्चतम सीमा अधिनियम, 1972.
11. कृषक ऋण अधिनियम.
12. भू-सुधार ऋण अधिनियम
13. मध्यप्रान्त और बरार प्रतिपाल्य अधिकरण अधिनियम, 1899.
14. मध्यभारत प्रतिपाल्य अधिनियम, संवत 2001.
15. मध्यप्रदेश ग्रामदान अधिनियम, 1971.
16. मध्यप्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियम, 1968.
17. भू-अभिलेख नियमावली भाग 1, 2, 3.
18. स्केयरसिटी मेनुअल (दुर्भिक्ष पुस्तिका).
19. राजस्व पुस्तक परिपत्र.
20. विलोपित.

(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :

1. राजस्व मंडल.
2. आयुक्त तथा अधीनस्थ कार्यालय.

x अधिसूचना क्र. एफ. ए. 1-15/2001/एक(1), दिनांक 4-2-2003 द्वारा संशोधित.